प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला..... **भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली**, ...थाना.....**प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**... वर्ष ...**2023**....
   प्र. इ. रि. स. ....103/23........ दिनांक ......01/5/2023......
2. (अ) अधिनियम ....**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)** ......धारायें....**7**............
   (ब) अधिनियम ....धारायें..............................
   (स) अधिनियम ....धारायें..............................
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....18.........समय..............5:00 PM..............
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–..................**सोमवार/30.01.2023** ....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – ....**लिखित** ....
5. घटनास्थल :–.............**कस्बा नादौती, जिला करौली**...
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – .....**बजानिब दिशा उत्तर–पश्चिम, दूरी करीब 50 कि.मी**.........
   (ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायम देही सं...
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.................जिला..........................
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम ....**श्री रामप्रकाश मीना**..
   (ब) पिता /पति का नाम ...**श्री टीकाराम मीना** .जाति ....**मीना**....(स) जन्म तिथि/वर्ष.....24 **वर्ष** ....
   (द) राष्ट्रीयता.........**भारतीय** ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी.................जारी होने की जगह.......................
   (र) व्यवसाय...
   (ल) पता..................**निवासी नीमरोठ का पुरा नादौती, पुलिस थाना सपोटरा, जिला करौली** ....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1. **नवल खटीक पुत्र श्री रामदेवा, जाति खटीक, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट भावड़, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 1647, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली।** ....
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–..........**कोई नही**............................
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....**रिश्वत की मांग करना**...
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..............
    ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....**नहीं**...................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......................

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक A.C.B. करौली विषयः–रिश्वत खोर हैड कानिस्टेबल को पकडवाने हेतु महोदय, निवेदन है कि मेरे खिलाफ मेरे गॉव नीमरोठ का पुरा की श्रीमती केशन्ती पत्नी रामकेश उर्फ कल्ला ने पुलिस थाना नादौती पर करीब 1 माहीने पहले मुकदमा लगा दिया जिसकी जांच नवल हैड कानिस्टेबल कर रहा है कल दिनॉक 29/1/23 को दोपहर के समय नवल हैड साहब थाने की गाड़ी से मेरे घर आये व मुझे उठाकर थाने ले गये उनके साथ और पुलिस वाले भी थे मैने मेरे मिलने वाले देवकी नन्दन शास्त्री को थाने में बुलाया तब हैड साहब से शास्त्री ने 10000 रूपेय कि मांग की शास्त्री ने मुझे बताया तो मेने कहा कि ये तो ज्यादा है, 5000 दे सकता हूँ। तब शास्त्री के कहने पर हैड साहब 5000 रू. के लिए राजी हो गये। इसके बाद मुझे थाने मे से छोड दिया। शास्त्री तो मेरे कहने पर हि थाने में आये थे उनका रिश्वत से कोई लेना–देना नही है मैं रिश्वत खोर हैड कानिस्टेबल को रगें हाथो पकड़वाना चाहता हूँ मेरी उससे कोई पुरानी रंजिस नही है और पुराना लेन देन बकाया नही है हस्ता0 दिनॉक 30/1/2023 रामप्रकाश मीना S/O श्री टीकाराम मीना, उम्र 24 वर्ष, जाति मीना, निवासी नीमरोठ का पुरा नादौती, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली। मो.नं. 7023906064

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 30.01.2023 समय 05:00 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री रामप्रकाश मीना S/O श्री टीकाराम मीना, उम्र 24 वर्ष, जाति मीना, निवासी नीमरोठ का पुरा नादौती, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली ढ़हरिया मोड़ नौदाती रोड़ पर उपस्थित मिला एवं

पास ही ब्यूरो चौकी करौली से तलब शुदा श्री श्याम सिंह कानि. 599 मय वाईस रिकार्डर के उपस्थित मिला। परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट रिश्वत खोर हैड कानिस्टेबल को पकडवाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. करौली के पदनाम से सम्बोधित कर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश की। लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री रामप्रकाश मीना से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो रिपोर्ट स्वंय द्वारा लिखकर लाना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया व लिखित रिपोर्ट की ताईद की। परिवादी ने बताया कि पुलिस थाना नादौती पर लगे हुए रिश्वत खोर हैड कानिस्टेबल को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी ने पूछने पर उधार का लेन-देन बकाया नही होना व नां ही कोई दुश्मनी होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया गया।

उक्त रिपोर्ट एवं मजिद दरियाप्त पर नियमानुसार रिश्वती मांग के गोपनीय सत्यापन करवाये जाने हेतु समय 05:15 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. से वाईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) को प्राप्त कर परिवादी श्री रामप्रकाश मीना को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। वाईस रिकार्डर को बन्द हालत में श्री श्याम सिंह कानि. 599 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर इनसे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस आकर पेश करें। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 05:20 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. एवं परिवादी श्री रामप्रकाश मीना को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के कहे अनुसार कस्बा नादौती के लिए रवाना किया गया जो उसी दिन समय 06:00 पी.एम. पर बाद रिश्वत मांग सत्यापन के पूर्व से पाबन्द शुदा ढोकनाथ बालाजी मन्दिर के सामने, गुढाचन्दजी-नादौती रोड पर उपस्थित आये व परिवादी श्री रामप्रकाश मीना ने पूछने पर बताया कि मैं और आपका कर्मचारी श्याम सिंह ढ़हरिया मोड़ नौदाती रोड़ से आपके पास से रवाना होकर कस्बा नादौती पहुंचे जहां श्याम सिंह कानि. ने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर मुझे दे दिया और श्याम सिंह जी पास में ही खड़े हो गये। मैने फोन कर नवल हैड साहब को बस स्टेण्ड के पास एक दुकान पर मिलने के लिए बुलाया। कुछ ही देर में नवल हैड साहब मेरे पास आ गये। मैने हैड साहब से मुकदमा के सम्बन्ध में बात की तो नवल हैड साहब ने मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा मे से धारा 354 हटाने व साधारण धारा में चालान पेश करने की कहा व मेरे से 5,000 रूपये मांगे। मैने पूछा तो कहा कि पहले तेरा काम हो जाने दे तब रूपये देना। वहां पर मेरे पिता व मामाजी एवं अन्य लोग भी आ गये। कुछ देर बाद मैं वहां से रवाना होकर श्याम सिंह के पास आ गया व वाईस रिकार्डर दे दिया। श्याम सिंह ने वाईस रिकार्डर बन्द कर अपने पास रख लिया। फिर हम दोनो वहां से रवाना होकर आपके पास आये है। नवल हैड साहब मेरे से काम होने के बाद 5000 रूपये रिश्वत के लेगा। मैं अभी मेरे खेतो की रखवाली करूंगा। मैं अभी आपकी ऑफिस में नही चल सकता हूं, 1-2 दिन में आपकी ऑफिस में आ जाउंगा। वाईस रिकार्डर अभी श्याम सिंह के पास है, जिस पर समय 06:05 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. ने मांगने पर गवाहान व परिवादी श्री रामप्रकाश मीना के सामने अपने पास से विभागीय वॉईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) को बन्द हालत में पेश किया। वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित रखा जाकर समय 06:10 पी.एम. पर परिवादी श्री रामप्रकाश मीना को गोपनीयता रखने की हिदायत कर निर्देश दिये कि जब भी आरोपी बुलाये तो तुरन्त मन उप अधीक्षक को सुचित करे। बाद हिदायत परिवादी को रूकसत किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय सरकारी वाहन मय चालक मय परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट मय दस्तावेज एवं वाईस रिकार्डर के ढोकनाथ बालाजी मन्दिर के सामने, गुढाचन्दजी-नादौती रोड से रवाना होकर समय 07:25 पी.एम. पर कार्यालय पहुंच वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया जाकर आलमारी का ताला लगाया जाकर चाबी स्वयं के पास रखी।

दिनांक 01.02.2023 को समय 11:00 ए.एम. पर परिवादी श्री रामप्रकाश मीना उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि अभी तक नवल हैड साहब का मेरे से कोई सम्पर्क नही हुआ है।

[redacted]

परिवादी के सामने मन उप अधीक्षक पुलिस के पास रखी चाबी को निकालकर परिवादी के सामने आलमारी का ताला खोलकर दिनांक 30.01.2023 को रखे गये वाईस रिकार्डर को निकाला गया। समय 11:30 ए.एम. पर गवाहान व परिवादी श्री रामप्रकाश मीना की उपस्थिति में वाईस रिकार्डर (पैन ड्राईव नुमा) को कार्यालय में स्थापित सरकारी कम्प्यूटर (acer कम्पनी) में कनेक्ट करवा कर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (28 मिनट 29 सैकेण्ड) को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता का एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-2" एवं एक DVD (SONY कम्पनी) आई.ओ. प्रति मार्क "A-3" तैयार करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व पैन ड्राईव व DVD में डब वार्ता का मिलान किया तो हूबहू होना पाई गई। कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डब शुदा एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-2" को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं एक DVD (SONY कम्पनी) आई.ओ. प्रति मार्क "A-3" को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर रखा गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट तथा मुताबिक फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 30.01.2023 से आरोपी नवल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना नादौती जिला करौली द्वारा परिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना नादौती पर दर्ज प्रकरण में से धारा 354 हटाने की एवज में 5,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि काम होने के बाद लेने का स्पष्ट हो चुका है। परिवादी ने पूछने पर बताया कि जब भी हैड साहब मेरे को बुलायेगे तो मैं 5000 रूपये लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 05:30 पी.एम. पर अलग–अलग कपड़े की थैली में शील्ड शुदा एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-2" को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया एवं परिवादी श्री रामप्रकाश मीना को आरोपी द्वारा बुलाये जाने पर तुरन्त मय रिश्वत राशि 5000 रूपये के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत किया गया।

दिनांक 17.02.2023 समय करीब 10:20 ए.एम. पर मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल श्री बृजेश कुमार कानि. 461 कार्यवाहक मुख्य आरक्षक के मोबाईल पर कॉल कर निर्देश दिये कि ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 18.02.2023 को समय 09:00 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाह सरकारी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में भिजवाने हेतु श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली को पत्राचार कर पाबन्द करवाये जावे। उक्त निर्देश पर समय 01:10 पी.एम. पर श्री बृजेश कुमार कानि. 461 कार्यवाहक मुख्य आरक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 18.02.2023 को समय 09:00 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाह सरकारी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली के पदनाम से तहरीर जारी कर श्री श्याम सिंह कानि. 599 को जिला परिषद करौली रवाना किया गया, जिस पर समय 01:30 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. 599 जिला परिषद करौली से दो स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला परिषद करौली एवं श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद करौली को दिनांक 18.02.2023 को समय 09:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाकर हाजिर कार्यालय आया। समय 03:00 पी.एम. पर परिवादी श्री रामप्रकाश मीना उपस्थित कार्यालय आया जिसको बाद हिदायत कार्यालय में रोका गया।

दिनांक 18.02.2023 को समय 09:40 ए.एम. पर दिनांक 17.02.2023 को जिला परिषद करौली से पाबन्द करवाये गये स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु दत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। समय 10:25 ए.एम. पर कार्यालय में पूर्व से उपस्थित शुदा परिवादी श्री रामप्रकाश मीना व स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु दत्त शर्मा सहायक

प्रशासनिक अधिकारी व श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक को श्री बृजेश कुमार कानि. 461 द्वारा मय रंनिग नोट के मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिचय पूछ कर ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने हेतु कहा तो दोनो ने स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। परिवादी ने पूछने पर बताया कि हैड साहब को 5,000 रूपये देने हेतु रूपये साथ लाया हूं। इस पर स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु दत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दोनों स्वतंत्र गवाहान को दी जाकर पढ़वाया गया व अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवही के बारे में अवगत कराया। दोनो स्वतंत्र गवाहान लिखित रिपोर्ट पर प्रमाण स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर मय दिनांक किये। समय 10:50 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री रामप्रकाश मीना ने मांगने पर आरोपी नवल हैड कानिस्टेबल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000/-रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

कम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	6 BW 398761
2	एक नोट 500 रूपये का	8 AU 505629
3	एक नोट 500 रूपये का	0 LV 033212
4	एक नोट 500 रूपये का	8 VU 033763
5	एक नोट 500 रूपये का	1 HD 622032
6	एक नोट 500 रूपये का	4 NK 746139
7	एक नोट 500 रूपये का	6 AE 582672
8	एक नोट 500 रूपये का	6 TF 096659
9	एक नोट 500 रूपये का	8 EP 686918
10	एक नोट 500 रूपये का	2 UU 731495

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री केशव देव कानि. 600 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री केशव देव कानि. से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 5,000/-रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री रामप्रकाश मीना की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु दत्त शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही पाई गई। इसके बाद श्री केशव देव कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 5,000/-रूपये के नोट परिवादी श्री रामप्रकाश मीना के बदन पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल करें। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई किवे यथा सम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री राजीव शर्मा, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री केशव देव कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री केशव देव कानि. से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री राजीव शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके

बाद श्री केशव देव कानि. से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैटबाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील के कटोरो आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री रामप्रकाश मीना को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैन ड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। समय 11:55 ए.एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री केशव देव कानि. 600 को बाद हिदायत कार्यालय में छोडा जाकर श्री विष्णु सिंह कानि. 135 व श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से तथा श्री श्याम सिंह कानि. निजि मोटर साईकिल से तथा सरकारी वाहन बोलरो नं RJ14 UB 0336 से मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय बृजेश कुमार कानि. 461, श्री कपिल सिंह कानि. 168, श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 परिवादी श्री रामप्रकाश मीना, स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु दत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 01:30 पी.एम. पर नादौती–श्रीमहावीर जी रोड़ पर केमरी मोड के पास पहुंचा। परिवादी श्री रामप्रकाश मीना व श्री श्याम सिंह कानि. को बाद हिदायत निजी मोटर साईकिल से आरोपी के पास नादौती के लिए रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक सरकारी मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुआ। शेष जाप्ता को हिदायत दी गई कि तलब करने पर तुरन्त उपस्थित आवे। सरकारी वाहन बोलेरो मय जाप्ता को बाद हिदायत आस–पास ही रूकने की हिदायत दी गई। परिवादी व श्याम सिंह कानि. के पीछे–पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने बताया कि मैं नवल हैड साहब को फोन कर सत्यापन होने वाली दुकान पर बुला लेता हूं। इस पर परिवादी द्वारा कॉल किया गया तो आरोपी हैड कानि. द्वारा फोन उठाकर नाम पूछ कर फोन काट दिया। इसके बाद परिवादी ने बताया कि हो सकता है वह मेरे पर शक कर रहा हो घर पर चल मैं किसी दुसरे व्यक्ति से उसकी मालुमात करूगां। इस पर परिवादी के घर पर पहुंच परिवादी ने अपने मिलने वाले व्यक्ति को फोन किया तो उसने बताया कि हैड साहब तो अभी छुट्टी चल रहे है 22–23 फरवरी तक आयेगे। इस पर आरोपी के अवकाश पर होने के कारण रवाना होकर वापस कैमरी मोड के पास पहुंचा जहां पर पूर्व में छोड़ा गया जाप्ता मौजुद मिला। समय 02:45 पी.एम. पर सरकारी वाहन बोलेरो में परिवादी श्री रामप्रकाश मीना को बिठाकर फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 5000/–रूपये को गवाह श्री विष्णु दत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मार्फत प्राप्त कर एक कागज का लिफाफा बनवाकर रिश्वत राशि गवाह के पास सुरक्षित रखवाई गई व परिवादी को हिदायत दी गई जब भी आरोपी आपसे सम्पर्क करे या अपने पास बुलाये तो तुरन्त मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करें। परिवादी व स्वतंत्र गवाह के दोनो हाथ साबुन पानी से साफ करवाये गये। परिवादी को बाद हिदायत रूकसत किया जाकर समय 02:55 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरकारी वाहन बोलेरो मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो व सरकारी मोटर साईकिल व निजी मोटर साईकिल से कैमरी मोड के पास से रवाना होकर समय 04:17 पी.एम. पर कार्यालय पहुंच स्वतंत्र गवाह श्री विष्णु दत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास सुरक्षित रखे कागज लिफाफा जिसमें रिश्वत राशि 5,000 रूपये रखी हुई है को निकलवाकर नम्बरो नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हू–ब–हूं होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि 5000/–रूपयो को उक्त कागज के लिफाफा में पुनः रखवाकर श्री बृजेश कुमार कानि. 461 के मार्फत मालखाना में सुरक्षित रखवाये जाकर गवाह व श्री बृजेश कुमार कानि. के हाथ साबुन–पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित उपकरणों को कार्यालय में सुरक्षित रखवाया जाकर समय 04:30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु दत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक को आवश्यक निर्देश दिये गये कि

[redacted]

जब भी ट्रेप कार्यवाही हेतु तलब किया जावे तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होवे। स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूकसत किया गया।

दिनांक 29.03.2023 को समय 03:00 ए.एम. पर परिवादी श्री रामप्रकाश मीना उपस्थित कार्यालय आया और मन उप अधीक्षक पुलिस को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. करौली के पदनाम से सम्बोधित कर पेश शुदा रिश्वत राशि लौटाने बाबत लिखित रिपोर्ट पेश की। लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया और रिपोर्ट में अंकित तथ्य बाबत परिवादी रामप्रकाश मीना से दरियाप्त कि तो परिवादी ने पेश रिपोर्ट की ताईद करते हुए बताया कि तीन दिन पहले वह मुझे नादौती बाजार में मिल गया और मेरे से गाली गलौच करने लग गया और कहा कि मेरे पास मत आना। मैने रूपये देने के लिए कहा तो मना कर दिया, वह मेरे पर अब शक कर रहा है इसलिए अब मेरे से रिश्वत नही लेगा। अतः मेरे द्वारा दिनांक 18.02.2023 को पेश किये गये 5000/–रूपये लौटाने की कृपा करे और नवल हैड कानिस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट व दरियाप्त से स्पष्ट है कि आरोपी अब रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा दिनांक 18.02.2023 को पेश शुदा रिश्वत राशि 5000/–रूपये जो मालखाना में सुरक्षित रखी हुई है की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता नही होने से ट्रेप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान को तलब कर लौटाया जाना उचित होगा। इस पर समय 03:30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु दत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक जरिये फोन तलब शुदा जिला परिषद करौली से उपस्थित कार्यालय आये। समय 04:00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही से अवगत कराकर स्वतंत्र गवाहान के सामने श्री बृजेश कुमार कानि. 461 कार्यवाहक मुख्य आरक्षक से दिनांक 18.03.2023 को मालखाना में रखवाई गई फिनॉफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 5000/–रूपये को मालखाना से निकलवा कर श्री बृजेश कुमार कानि. से नोटों पर लगे हुए फिनॉफ्थलीन पाउडर को अच्छी तरह झड़कवाकर साफ करवाकर स्वतंत्र गवाहान से उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दिनांक 18.03.2023 को तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये जिनकी ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता नही होने से परिवादी श्री रामप्रकाश मीना को जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। समय 04:20 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 24 को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 04:30 पी.एम. पर परिवादी श्री रामप्रकाश मीना एवं स्वतंत्र गवाहान श्री विष्णु दत्त शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री राजीव शर्मा कनिष्ठ सहायक को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री रामप्रकाश मीना के विरूद्ध पुलिस थाना नादौती जिला करौली में दर्ज प्रकरण में आरोपी नवल हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री रामप्रकाश मीना से 5000 रूपये रिश्वत की मांग करने वगैरा रिपोर्ट पर दिनांक 30.01.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी नवल हैड कानि. द्वारा परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में से धारा 354 हटाने की एवज में 5,000/–रूपये की मांग करना एवं उक्त मांग की अनुसरण में दिनांक 18.02.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी नवल हैड कानि. का अवकाश पर ज्ञात होने के कारण ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। दिनांक 29.03.2023 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र अनुसार आरोपी को परिवादी पर शक होने के वजह से रिश्वत राशि लेने हेतु मना करना पाया गया। आरोपी नवल हैड कानि. पुलिस थाना नादौती जिला करौली का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का जुर्म होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी नवल खटीक पुत्र श्री रामदेवा, जाति खटीक, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट भावड़, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 1647, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सुचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अमर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
करौली (राज०)

[redacted]

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री नवल खटीक हाल हैड कानि0 1647, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 103/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 788-91 दिनांक 01.05.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, करौली।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।